

दिनांक

22/3/17

पत्रावली पेश हुई। वकील ~~का~~ उपास्थित। 702 मंड (एयल से
बेवारा प्रस्ताव अपास्त। पत्रावली वाहे इंटरम पालना
बेवारा प्रस्ताव दिनांक 26.4.17 को पेश हो। (4)

26/4/17

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया उपास्थित। पत्रावली वाहे वर
बेवारा प्रस्ताव दिनांक 17.5.17 को पेश हो। (4)

7/5/17

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प - मण्डरायल पर पेश
हुई। वकील वादीया उपास्थित। वर वकील वादीया सुनी गई।
वकील वादीया बेवारा प्रस्ताव से सहमत है। अतः दावा वादीया
विशेष प्राहिवादीया आलेम डिडी किया जा रहा है। मुआवेज
बेवारा प्रस्ताव आशुजी खं.नं. 11831 2 वधा 1-14 बीधा
काम मण्डरायल वादीया गिरजा देवी के हिस्से खादेसाती व
कलमें में रहेगी एवं खं.नं. 11832 2 वधा 02 विल्दा प्राहिवादी
नं. 5 अर्जुन के हिस्से खादेसाती व कलमें भाग में रहेगी एवं
खं.नं. 1183 2 वधा 2 बीधा 17 विल्दा काम - मंड (एयल प्राहिवादी
नं. 1 का 4 के हिस्से खादेसाती व कलमें भाग में रहेगी।
बेवारा प्रस्ताव मय नमशा निर्णय व आलेम डिडी का मुज
रहेगा। वादीया व प्राहिवादीया काम का 5 इली अनुसूच्य अपने
हक में राजस्व रिपोर्ट में अलग-अलग खादेसाती व लगान
कराने के आदिगती है। एडानुसूच्य आलेम पचा डिडी जारी
हो। निर्णय सुनाया गया।

(4)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (करोली)